

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022 / 79

पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :- 15 / 2022

1. भूराराम पुत्र हेमाराम निवासी ग्राम पेरवा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान।
2. सुरेश सोयल पुत्र रतन लाल खटीक निवासी 25 शिवाजी की गली, मण्डी खटीकन् जयपुर।
3. वामा सम्पदा प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर पीयूष सिंह पुत्र ए.के.सिंह जाति राजपूत पता ई-71 प्रथम तल चितरंजन मार्ग सी-स्कीम जयपुर।  
— — — प्रार्थीगण

### बनाम

1. रामदेव पुत्र जीवण जाति गुर्जर
2. बंशी पुत्र नाथू जाति अहीर
3. मालीराम पुत्र नाथूराम जाति अहीर
4. भोला पुत्र चन्दा जाति अहीर
5. ओंकार पुत्र नाथू जाति अहीर
6. सुनील कुमार भार्गव पुत्र विश्वेवरनाथ भार्गव जाति ब्राह्मण
7. ममता भार्गव पत्नी सुनी भार्गव जाति ब्राह्मण
8. काना पुत्र नाथ्या जाति अहीर
9. कालूराम पुत्र भूरा जाति अहीर
10. बाबूलाल पुत्र भूरा जाति अहीर
11. रूडाराम पुत्र भूरा जाति अहीर
12. चन्दा पुत्र रूडा जाति अहीर
13. छीतर पुत्र श्योला जाति अहीर
14. नन्दलाल पुत्र घासी जाति अहीर
15. भूरा पुत्र रूडा जाति अहीर
16. प्रभूदयाल पुत्र हनुमान जाति अहीर
17. बाबूलाल पुत्र हनुमान जाति अहीर
18. कालूराम पुत्र घासी जाति अहीर
19. कन्हैया पुत्र रूडा जाति अहीर
20. देबू पुत्र चन्दा जाति बलाई  
समस्त निवासी ग्राम भुरानपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
21. अमरचन्द पुत्र किशना उर्फ किशन लाल जाति बलाई
22. शंकर लाल पुत्र किशना उर्फ किशन लाल जाति बलाई

निवासी ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

23. अर्जुन लाल पुत्र छीतर
24. उदा पुत्र छोटू
25. कालू पुत्र छीतर
26. गीता देवी पत्नी मोधाराम
27. गोरधन पुत्र मुरली
28. चिरंजीलाल पुत्र प्रभात
29. जगदीश पुत्र प्रभात
30. फूलचन्द पुत्र प्रभात
31. बंशीलाल पुत्र छीतर
32. मुकेश पुत्र माधोराम
33. मेवा देवी पत्नी मन्नालाल
34. मामराज पुत्र मन्ना
35. मीरा देवी पत्नी स्व० मुन्ना
36. रूपा देवी पुत्री प्रभात
37. राकेश पुत्र माधोराम
38. राजेश पुत्र माधोराम
39. रामेश्वर पुत्र प्रभात
40. लादी देवी पत्नी प्रभात
41. सुशीला देवी पुत्री प्रभात
42. सीताराम पुत्र मुन्ना
43. हनुमान पुत्र प्रभात

समस्त जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

44. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111

भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-27.07.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि ख०नं० 15 रकबा 1.01 हैक्टे०, ख०नं० 17/1 रकबा 1.27 हैक्टे०, ख०नं० 20 रकबा 0.28 हैक्टे०, ख०नं० 23 रकबा 0.24 हैक्टे०, ख०नं० 25 रकबा 1.01

हैक्टे०, ख०नं० 26 रकबा 0.20 हैक्टे०, ख०नं० 27 रकबा 0.20 हैक्टे०, ख०नं० 30 रकबा 0.15 हैक्टे०, ख०नं० 31 रकबा 1.11 हैक्टे०, ख०नं० 32 रकबा 0.36 हैक्टे०, ख०नं० 33/483 रकबा 1.01 हैक्टे० कुल किता 11 रकबा 6.84 हैक्टे० व ख०नं० 18 रकबा 3.79 हैक्टे० ख०नं० 29/482 रकबा 0.41 हैक्टे०, ख०नं० 33 रकबा 2.89 हैक्टे०, ख०नं० 33/466 रकबा 0.50 हैक्टे० कुल किता 4 रकबा 7.59, ख०नं० 17 रकबा 0.6348 हैक्टे०, वाके ग्राम भुरानपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण हैं, तथा अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 43 पडोसी काश्तकार है।

श्रीमान् तहसीलदार जयपुर के आदेश अनुसार प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान् का सीमाज्ञान दिनांक 12.11.2021 को तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक भूअ./2021/2461-64 दिनांक 09.04.2021 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में किया जा चुका है। उक्त कृषि भूमि के सीमाकंन अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहते है पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 43 को उक्त सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी बाबत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हें तलब कर प्रार्थीगण के पक्ष में सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करें। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सकें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवदेन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख०नं० 15 रकबा 1.01 हैक्टे०, ख०नं० 17/1 रकबा 1.27 हैक्टे०, ख०नं० 20 रकबा 0.28 हैक्टे०, ख०नं० 23 रकबा 0.24 हैक्टे०, ख०नं० 25 रकबा 1.01 हैक्टे०, ख०नं० 26 रकबा 0.20 हैक्टे०, ख०नं० 27 रकबा 0.20 हैक्टे०, ख०नं० 30 रकबा 0.15 हैक्टे०, ख०नं० 31 रकबा 1.11 हैक्टे०, ख०नं० 32 रकबा 0.36 हैक्टे०, ख०नं० 33/483 रकबा 1.01 हैक्टे० कुल किता 11 रकबा 6.84 हैक्टे० व ख०नं० 18 रकबा 3.79 हैक्टे० ख०नं० 29/482 रकबा 0.41 हैक्टे०, ख०नं० 33 रकबा 2.89 हैक्टे०, ख०नं० 33/466 रकबा 0.50 हैक्टे० कुल किता 4 रकबा 7.59, ख०नं० 17 रकबा 0.6348 हैक्टे०, वाके ग्राम भुरानपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी अप्रार्थीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य न्यायालय जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण को प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 43 को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक नोटिस जारी

कराये 01 माह से अधिक का समय हो चुका है इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का है जिसमें ख०नं० 17 रकबा 1.27 हैक्टे०, भूमि सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें बिना विधिक तकासमें के बिना सहखातेदारों के पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 के तहत ख०नं० 17 रकबा 1.27 हैक्टे० को छोड़कर खातेदारी कृषि भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही बाद पत्थरगढी करवाने का प्रार्थीगण खातेदार अधिकारी है। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से ग्राम भुरानपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में ख०नं० 15 रकबा 1.01 हैक्टे०, ख०नं० 17/1 रकबा 1.27 हैक्टे०, ख०नं० 20 रकबा 0.28 हैक्टे०, ख०नं० 23 रकबा 0.24 हैक्टे०, ख०नं० 25 रकबा 1.01 हैक्टे०, ख०नं० 26 रकबा 0.20 हैक्टे०, ख०नं० 27 रकबा 0.20 हैक्टे०, ख०नं० 30 रकबा 0.15 हैक्टे०, ख०नं० 31 रकबा 1.11 हैक्टे०, ख०नं० 32 रकबा 0.36 हैक्टे०, ख०नं० 33/483 रकबा 1.01 हैक्टे० कुल किता 11 रकबा 6.84 हैक्टे० व ख०नं० 18 रकबा 3.79 हैक्टे० ख०नं० 29/482 रकबा 0.41 हैक्टे०, ख०नं० 33 रकबा 2.89 हैक्टे०, ख०नं० 33/466 रकबा 0.50 हैक्टे० कुल किता 4 रकबा 7.59, भूमि की पत्थरगढी फीस प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप-1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के ओदशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

आज दिनांक 27.07.2022 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।